सूचना नीलाम
कार्यालय जनपद न्यायाधीश, प्रतापगढ़

विज्ञप्ति

दीवानी न्यायालय प्रतापगढ़ में फोटोग्राफी शाप की नीलामी दिनांक 23.03.2018 को समय दोपहर 2 बजे दीवानी न्यायालय प्रांगण में प्रभारी अधिकारी नजारत, दीवानी न्यायालय प्रतापगढ़ के समक्ष होगी:–

1. फोटोग्राफी शाप

जिन लोगों को बोली बोलना हो वह निश्चित तिथि व समय पर उपस्थित हो कर बोली में भाग ले सकते हैं।

शर्तें एवं प्रतिबन्ध

1. उक्त ठेके की नीलामी दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक की अवधि के लिये होगी।
2. बोली में केवल वही लोग भाग ले सकते हैं जो नीलाम होने के पूर्व नजारत में फोटोग्राफी शाप के लिए एक–एक हजार रूपया जमानत के रूप में जमा करेंगे।
3. जिस व्यक्ति के नाम नीलामी समाप्त होगी यदि वह ठेका नहीं लेता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
4. बोली समाप्त होने पर सर्वाधिक बोली की 1/4 धनराशि तुरंत जमा करनी होगी। शेष धनराशि तीन समान किस्तों में जमा करनी होगी, जो क्रमशः माह जुलाई, अक्तूबर एवं जनवरी के प्रथम सप्ताह में देय होगी एवं किस्तों का समय पर भुगतान न होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। जमा की गयी जमानत धनराशि को अंतिम किस्त में समायोजित किया जायेगा।
5. ठेका लेने वाले को उपर्युक्त नियम एवं शर्तों के अनुसार एक एग्रीमेण्ट बांड दूकान चलाने के पूर्व नजारत में जमा करना होगा।
6. माननीय जिला जज, प्रतापगढ़ उचित बोली न होने पर नीलाम की तिथि बढ़ा सकते हैं।
7. माननीय जिला जज, प्रतापगढ़ नीलाम को बिना कारण बताये हुये रद्द कर सकते हैं या कोई अन्य आदेश पारित कर सकते हैं।
8. दूकान खोलने वाले व्यक्ति को फूस का छप्पर नहीं रखने दिया जायेगा, बल्कि वह टीन का शेड लगा सकता है जिसके लिये स्थान जिला जज महोदय निश्चित करेंगे। नीलाम अवधि की समाप्ति पर दूकानदार को शेड इत्यादि तत्काल हटाना होगा।
9. ठेका लेने वाले व्यक्ति को अपने यहां किसी भी प्रकार के बाहरी व्यक्तियों को बैठाना व रखना कार्यालय समय के उपरांत वर्जित होगा।

(नवनीत कुमार)
प्रभारी अधिकारी नजारत
अपर जिला जज कक्ष संख्या–5,
प्रतापगढ़।

दिनांक : 14.03.2018,